REGD. NO. D. L.-33004/99

<u>रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99</u>



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1083]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 2013⁄वैशाख 26, 1935
No. 1083]	NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2013/VAISAKHA 26, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2013

का.आ. 1230(अ).–केन्द्रीय सरकार, भारतीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सड़क संगठन को यह निदेश देती है कि वह सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित तदनुरूपी खंड के, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के विकास और अनुरक्षण से संबंधित कार्य करेगा ।

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	लंबाई कि.मी में
(1)	(2)	(3)
102ए	तदुबी–पोयमटा–उखरूल (मणिपुर राज्य)	115
102ৰী	चुरचांदपुर–सिंघाट–सिंजावल–तुवई सड़क–म्यांमार सड़क (मणिपुर राज्य)	178
137	रींगपंग–खोंगसंग–तमेनगलोंग (तेंगलूंग) (मणिपुर राज्य)	65

[फा. सं. एनएच–14013 / 6 / 2013–पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप सचिव

2012 GI/2013

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2013

S.O. 1230(E).— In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the Border Roads Organization shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the following Table, of the corresponding section as mentioned in column (2) of the said Table, of the National Highways as described in column (1) thereof.

TABLE

National Highway	Section	Length in kilometers
No.		
(1)	(2)	(3)
102 A	Tadubi-Paomata-Ukhrul (State of Manipur)	115
102 B	Churachandpur-Singhat-Sinzawl-Tuivai Road-Mayanmar Road (State of Manipur)	178
137	Rengpang-Khongsang-Tamenglong (Tenglong) (State of Manipur)	65

[F.No. NH-14013/6/2013-P&M] MAYA PRAKASH, Dy. Secy.